संख्या-8/2020/109/59-2-2020-15(खा)/2009

प्रेषक,

राम आसरे राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-1461-63/खा0ग्रो0बो0/कम्प्यूटर/ई-गवर्नेन्स/2019-20, दिनांक 29.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-48/2019/804/59-2-2019-15(खा)/2009, दिनांक 30 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने हेतु निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-**1**-375/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-24-ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-124/दस-2020, दिनांक 11.02.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम आसरे राम)
अनु सचिव।

<u>संख्या-8/2020/109(1)/59-2-2020-15(खा)/2009 तददिनांकित</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राम आसरे राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**